

2019/00219

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हरिचरण V/S कमलेश	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
17.12/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपास्थित नहीं। बार-बार आवाज लगावाई गई लेकिन ना तो पार्थीक ना ही उनका कोई प्रतिनिधि उपास्थित हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आक्षेप लगाकर यह मुंत्किली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, इतका अन्यत्र स्थानांतरण हो चुका है जिससे यह प्रार्थना पत्र मुंत्किली प्रभावहीन होगा है एवं चलने योग्य नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र मुंत्किली खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फंसल शुभ्राट होकर बाद तकनील दाखिल उपर हो।</p>	

  
जिला कलक्टर  
करौली

